दैनिक भास्कर
बिलासपुर भास्कर 09-07-2025

सुनवाई • पति को देना होगा खर्च, फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका खारिज

पत्नी-बच्चों को गुजारा भत्ता: पति- बेरोजगार हूं, पत्नी नौकरी में, कोर्ट ने कहा- बच्चे की पढ़ाई में पिता की जिम्मेदारी अहम

लीगलरिपोर्टर | बिलासपुर

पति की ओर से लगाई गई पुनरीक्षण याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए कहा है कि बच्चे की शिक्षा और पालन-पोषण की जिम्मेदारी से पिता खुद को अलग नहीं कर सकता, चाहे वह बेरोजगार ही क्यों न हो। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की सिंगल बेंच ने कहा कि पढ़ी-लिखी और कमाने वाली पत्नी होने के बावजूद बच्चे के भरण-पोषण की जिम्मेदारी माता-पिता दोनों की होती है।

रायगढ़ निवासी दंपती विवाद के बाद अलग रह रहे हैं। उनका करीब 4 साल का बेटा है। वह रायगढ़ के कान्वेंट स्कूल में पढ़ता है। पत्नी ने रायगढ़ के फैमिली कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 127 के तहत भरण-पोषण देने की मांग करते हुए याचिका लगाई थी। कोर्ट ने पति को मां और बेटे को हर माह 6 हजार रुपए अंतरिम खर्च के तौर पर देने के आदेश दिए थे। पति ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका लगाई। बताया कि वह बेरोजगार है, उसके पास आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं है। खासकर कोरोना काल के बाद से उसके पास आय को कोई साधन नहीं रह गया है। इसके साथ ही बताया कि पत्नी अपने पिता के स्कूल में शिक्षिका है। उसकी आमदनी भी अच्छी है। यह भी तर्क दिया कि दोनों पक्षों के बीच पहले ही समझौता डिक्री हो चुकी है, लिहाजा नया आदेश गलत है।

हाई कोर्ट ने कहा- बच्चे का पालन पोषण सिर्फ मां की जिम्मेदारी नहीं

हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि बच्चा प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। उसके लिए पर्याप्त आर्थिक मदद जरूरी है। कहा कि बच्चे की भलाई सर्वोपरि है। भरण-पोषण से संबंधित जिम्मेदारी सिर्फ मां की नहीं हो सकती।

कहा- सिद्धांतों के मुताबिक है फैमिली कोर्ट का आदेश, 6 हजार रुपए उचित है

हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को न्यायसंगत, निष्पक्ष और कानूनी सिद्धांतों के अनुरूप बताते हुए पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी। कहा कि बच्चे की जरूरतों को देखते हुए हर माह 6 हजार रुपए उचित है। साथ ही आदेश की कॉपी ट्रायल कोर्ट को तत्काल भेजने के निर्देश दिए।